तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सी.एस. चौहान, ए – 99, सुन्दर नगर, 200 फीट बाईपास, अजमेर रोड़, जयपुर(राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 58/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/165 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

23.6.22

–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 10.12.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/19/2022/676 दिनांक 25.04.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से संबंधित प्रथम वांछित सूचना अन्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, रायपुर/तहसीलदार, रायपुर से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक/रा.लो.सू.अ./(6)(3)/19/2022/100 दिनांक 20.01.2022 द्वारा व द्वितीय वांछित सूचना अन्य लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायपुर से संबंधित होने के कारण आरटीआई की धारा 6(3) के तहत उनके कार्यालय के पत्रांक 21 दिनांक 02.02.2022 द्वारा निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण करते हुए वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर/तहसीलदार, रायपुर व लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायपुर को निर्धारित समयावधि में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उपरोक्त समस्त लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर/तहसीलदार, रायपुर व लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

6. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(नमित मेहता)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली